भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय जी.एस.टी, अहमदाबाद – दक्षिण
CENTRAL GST, AHMEDABAD – SOUTH
जीएसटी भवन GST BHAVAN
पोलिटेकनिक के पास, आंबावाड़ी, अहमदाबाद – 380 015.
NEAR POLYTECHNIC, AMBAWADI, AHMEDABAD - 380015.

सत्यमेव जयते

NATION TAX MARKET

ई-मेलE-mail: tech.cgstahdsouth@gov.in दूरभाष सं.Phone No. : 079-26308237

F. No.: IV/16-15/Trade Notice/Tech/2021-22 दिनांक: 15.09.2021

व्यापार सूचना सं.01/2021

TRADE NOTICE NO. 01/2021

SUB : विलंब शुल्क माफी योजना की अंतिम तिथि का विस्तार और जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने के निरसन के लिए आवेदन दाखिल करने की समय - सीमा का विस्तार - संबंधी मामला ।

SUB : Extension of closing date of late fee amnesty scheme and time limit for filing of application for revocation of cancellation of registration under GST Act – M/r.

*****

व्यापार/ उद्योग, व्यापार संघों, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभी सदस्यों और अन्य सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि सरकार ने अधिसूचना संख्या 19/2021- केंद्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 के माध्यम से जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 तक की कर अवधि के लिए गैर-प्रस्तुत फॉर्म GSTR-3B के लिए विलंब शुल्क को कम करना / माफ करना, यदि इन कर अवधियों के लिए रिटर्न 01.06.2021 से 31.08.2021 के बीच प्रस्तुत किए जाते हैं, करदाताओं को राहत प्रदान की थी । विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31.08.2021 से बढ़ाकर 30.11.2021 कर दी गई है । [अधिसूचना संख्या 33/2021- केंद्रीय कर, दिनांक 29.08.2021 देखें]।

Attention is invited to all members of Trade/Industry, Trade Associations, Chamber of Commerce and Industry and all others concerned that the Government, vide Notification No. 19/2021- Central Tax, dated 01.06.2021, had provided relief to the taxpayers by reducing / waiving late fee for non-furnishing **FORM GSTR-3B** for the tax periods from July, 2017 to April, 2021. if the returns for these tax periods are furnished between 01.06.2021 to 31.08.2021. **The last date to avail benefit of the late fee amnesty scheme, has now been extended from existing 31.08.2021 to 30.11.2021.** *[Refer Notification No. 33/2021- Central Tax, dated 29.08.2021].*

2. प्राप्त कई अभ्यावेदनों के आधार पर, सरकार ने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समयसीमा को भी 30.09.2021 तक बढ़ा दिया है, जहां पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की नियत तारीख 01.03.2020 से 31.08.2021 के बीच आती है । विस्तार केवल उन मामलों में लागू होगा जहां पंजीकरण सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (बी) या खंड (सी) के तहत रद्द कर दिया गया है। [अधिसूचना संख्या 34/2021- केंद्रीय कर, दिनांक 29.08.2021 देखें] ।

Based on the multiple representations received, Government has also extended the timelines for filing of application for revocation of cancellation of registration to **30.09.2021**, where the due date of filing of application for revocation of cancellation of registration falls between **01.03.2020 to 31.08.2021**. The extension would be applicable only in those cases where registrations have been cancelled under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the CGST Act. [*Refer Notification No. 34/2021- Central Tax, dated 29.08.2021*].

3. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) का उपयोग करने वाली कंपनियों द्वारा **FORM GSTR-3B** और **FORM GSTR-1** की फाइलिंग 27.04.2021 से 31.08.2021 की अवधि के लिए पहले ही सक्षम कर दी गई है। इसे आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2021 कर दिया गया है। [अधिसूचना संख्या 32/2021- केंद्रीय कर, दिनांक 29.08.2021 देखें]।

The filing of **FORM GSTR-3B** and **FORM GSTR-1** by companies using electronic verification code (EVC), instead of Digital Signature certificate (DSC) has already been enabled for the period from 27.04.2021 to 31.08.2021. **This has been further extended to 31st October, 2021.** [*Refer Notification No. 32/2021- Central Tax, dated 29.08.2021*].

4. विलंब शुल्क माफी योजना की अंतिम तिथि के विस्तार और पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के विस्तार से बड़ी संख्या में करदाताओं, विशेष रूप से छोटे करदाताओं को लाभ होगा, जो विभिन्न कारणों से , मुख्यत: कोविड - 19 महामारी के कारण हुई कठिनाईयों के कारण समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके और जिनके पंजीकरण इस कारण से रद्द कर दिए गए थे। करदाताओं से अनुरोध है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए इन एक्सटेंशनों का जल्द से जल्द लाभ उठाएं।

The extension of the closing date of late fee amnesty scheme and extension of time limit for filing of application for revocation of cancellation of registration will benefit a large number of taxpayers, especially small taxpayers, who could not file their returns in time due to various reasons, mainly because of difficulties caused by COVID-19 pandemic, and whose registrations were cancelled due to the same. Taxpayers are requested to avail the benefit of these extensions at the earliest to avoid last minute rush.

5. ट्रेड एसोसिएशन/ चैंबर ऑफ कॉमर्स और आरएसी/ पीजीआरसी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे अपने सदस्य/संघटकों के ध्यान में लाएं।

The Trade Associations/Chamber of Commerce and the member of RAC/PGRC are requested to bring this to the notice of their member/constituents.

(नलिन त्रिलोचन)
संयुक्त आयुक्त
सीजीएसटी, अहमदाबाद दक्षिण।

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

01. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी, अहमदाबाद ज़ोन, अहमदाबाद ।

02. व्यापार एवं विभागीय डाक सूची के अनुसार ।

03. सभी सहायक आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी, डिवीज़न I से VIII, अहमदाबाद दक्षिण ।

04. अधीक्षक (प्रणाली), केंद्रीय जीएसटी, अहमदाबाद दक्षिण को, इसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।